

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी०सी०आर्य)

विशेष प्रकरण क्रमांक: 99/2015

संस्थित दिनांक-18.04.2013

फाईलिंग नंबर-230303012822013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला-भिण्ड (म०प्र०) .....अभियोजन

वि रु द्ध

1. वीरसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह गुर्जर उम्र 40 साल  
निवासी बंकेपुरा पी०एस० गोहद
2. लाखनसिंह उर्फ रामलखनसिंह पुत्र अमरसिंह गुर्जर  
उम्र 38 साल निवासी जिमलेदार का पुरा  
पी०एस० मालनपुर .....आरोपीगण

---

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक

आरोपी वीरसिंह द्वारा श्री केशवसिंह गुर्जर अधिवक्ता

आरोपी लाखन द्वारा श्री एम०एल० मुदगल अधिवक्ता

---

### **-:- निर्णय -:-**

(आज दिनांक 10 अगस्त 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 212 भा०द०वि० एवं धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक-23.01.13 को और उसके पूर्व शीतला माता मंदिर थाना गोहद के डकैती प्रभावित क्षेत्र में इनामी और फरारी डकैत भूरा उर्फ भूरे उर्फ वीरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह गुर्जर को गिरफ्तारी से बचाने के लिये उसे आश्रय दिया।
2. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि उपनिरीक्षक के०पी० शर्मा थाना गोहद चौराहा को दिनांक 24.01.13 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दिनांक 23.01.13 को को समय 18.00 बजे स्थान शीतला माता का मंदिर पर वीरसिंह गुर्जर निवासी बंकेपुरा का एवं लाखनसिंह गुर्जर निवासी जिमलेदार का पुरा थाना मालनपुर के द्वारा शीतला माता मंदिर पर फरारी बदमाश भूरा उर्फ भूरेसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह गुर्जर निवासी आलौरी को पुलिस से गिरफ्तारी से बचाने की नीयत से पुलिस के संबंध में सूचना दी तथा उसे दैनिक उपयोग का सामान बीड़ी बिण्डल, माचिस, जूता, उपलब्ध कराये और उसे भगा दिया। इस तरह से इन दोनों फरारी इशतहारी डकैत भूरा उर्फ भूरेसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह गुर्जर को आश्रय दिया एवं पुलिस की आमद रफ्त के संबंध में सूचना मिली। जिसे

रोजनामचासान्हा क्रमांक-1033/24.01.13 पर प्र०पी०-7 के अनुसार इन्द्राज कर टीआई साहब को अवगत कराया। और उनके मौखिक आदेश पर सूचना की तश्दीक की। एवं तश्दीक के दौरान साक्षी गनेश गिरि व मुकेश गिरि के कथन लिये गये। एवं आसपास की गोपनीयता से तश्दीक की गई तो आरोपी लाखनसिंह गुर्जर नि० जिमलेदार कापुरा एवं वीरसिंह गुर्जर निवासी बंके का पुरा के द्वारा दिनांक 23.01.13 के 18.00 बजे दिनांक 23.01.13 को को समय 18.00 बजे स्थान शीतला माता का मंदिर पर वीरसिंह गुर्जर निवासी बंकेपुरा का एवं लाखनसिंह गुर्जर निवासी जिमलेदार का पुरा थाना मालनपुर के द्वारा शीतला माता मंदिर पर फरारी बदमाश भूरा उर्फ भूरेसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह गुर्जर निवासी आलौरी को पुलिस से गिरफ्तारी से बचाने की नीयत से पुलिस के संबंध में सूचना दी तथा उसे दैनिक उपयोग का सामान बीड़ी बिण्डल, माचिस, जूता, उपलब्ध कराये और उसे भगा दिया।

3. उपरोक्त कृत्य के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अप०क्र० -21/13 धारा-212, 216 एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत अपराध प्र०पी०-9 के अनुसार पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत विधिवत निराकरण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
4. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 212 भादवि. एवं धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।
5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
  1. क्या आरोपीगण वीरसिंह एवं लाखन फरारी इनामी बदमाश भूरा उर्फ भूरेसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह गुर्जर निवासी आलौरी को घटना दिनांक 23.01.13 के पहले से जानते पहचानते थे?
  2. क्या आरोपी फरारी बदमाश भूरा उर्फ भूरेसिंह उर्फ वीरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह गुर्जर निवासी आलौरी पर शासन द्वारा उसे डकैत घोषित करते हुए कोई इनाम रखा गया?
  3. क्या आरोपीगण ने दिनांक 23.01.13 को और उसके पूर्व शीतला माता मंदिर खरौआ का थाना गोहद पर गिरफ्तारी से बचाने के लिये आश्रय दिया और पुलिस की आमद रफ्त की सूचना दी?

**—::—निष्कर्ष के आधार :—**

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मुकेश (अ0सा0—01), गणेश गिरि (अ0सा0—02), अजयसिंह (अ0सा0—03), मुन्नालाल (अ0सा0—4), के0पी0 शर्मा (अ0सा0—5) की साक्ष्य कराई है। आरोपी की ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी0—1 लगायत—प्रदर्श पी0—09 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।

**—::— विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01 लगायत 3 —::—**

7. उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
8. प्रकरण में बताई गई घटना सार रूप में यह है कि ग्राम आलौरी का भूरा उर्फ भूरे गुर्जर उर्फ वीरेन्द्रसिंह गुर्जर पुत्र जबरसिंह फरारी डकैत था जिसे आरोपीगण जानते थे और उसे पुलिस की आमद रफ्त की सूचना देकर उसे गिरफ्तारी से बचाते हुए उसे दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराते थे और दिनांक 23.01.13 का उन्हें शीतला माता के मंदिर पर भी इस तरह का आश्रय दिया गया और दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराई जिसे मुखबिर की प्राप्त सूचना पर से मौके पर जाकर तश्दीक करने पर सत्य पाया गया जिसका आधार शीतला माता के मंदिर के पुजारी गणेश गिरि व उसके पुत्र मुकेश गिरि को बताया गया है। तत्पश्चात आरोपीगण की गिरफ्तारी की जाकर कार्यवाही की गई। इसलिये प्रकरण में आरोपीगण मुकेश गिरि व गणेश गिरि सर्वाधिक महत्व के साक्षी हो जाते हैं।
09. मुकेश अ0सा0—1 व गणेश गिरि अ0सा0—2 ने अभियोजन कथानक का अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। बल्कि उन्होंने आरोपीगण को जानने पहचानने से भी इन्कार किया है और घटना के विषय में कोई जानकारी होने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि उनके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। मुकेश ने प्र0पी0—1 का जांच कथन और प्र0पी0—2 का पुलिस कथन तथा गणेश गिरि ने प्र0पी0—3 का जांच कथन एवं प्र0पी0—4 का पुलिस कथन देने से इन्कार किया है। केवल इतनी ही स्वीकारोक्ति कि है कि वे शीतला माता मंदिर पर पूजा करते हैं और वहाँ रात को रुकते भी हैं। किन्तु इस बात से दोनों ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि दिनांक 23.01.13 को जब वे लोग शीतला माता मंदिर पर थे तब मंदिर पर आलौरी का भूरा गुर्जर अपने 5—6 साथियों के साथ मंदिर के बाहर आया था और तभी उस दिन वीरसिंह व लाखनसिंह गुर्जर ने भूरे गुर्जर को आकर दैनिक उपयोग का सामान बीड़ी, बिण्डल, माचिस, जूते, कपड़े और शॉल आदि दिये और यह जानकारी भी दी कि पुलिस उन्हें तलाश रही है। तथा शीतला माता मंदिर पर भी पुलिस आती जाती है। इसलिये वह

जल्दी से वहाँ से चला जाये। इस तरह से अ0सा0-1 व अ0सा0-2 के द्वारा अभियोजन कथानक का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया गया है।

10. प्रकरण में अनुसंधान के दौरान घटना की प्र0पी0-9 की एफआईआर दिनांक 24.01.13 को पंजीबद्ध होने के पश्चात अगले दिन दिनांक 25.01.13 को आरोपीगण की ऐंचाया रोड कस्बा गोहद से गिरफ्तारी करना बताया गया है जिसके संबंध में पंच साक्षी अजयसिंह अ0सा0-3 व मुन्नालाल अ0सा0-4 बनाये गये थे जिन्होंने भी अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण की उनके सामने दिनांक 25.01.13 को थाना गोहद के उपनिरीक्षक के0पी0 शर्मा के द्वारा गिरफ्तार करना और प्र0पी0-5 व 6 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार करने से इन्कार किया है। हालांकि दोनों ने प्र0पी0-5 व 6 के गिरफ्तारी पत्रकों पर अपने ए से ए भाग और बी से बी भाग पर हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किये हैं किन्तु यह कहा है कि पुलिस ने उन्हें कोई कागज पढकर नहीं बताया थे। पुलिस के कहने से उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये थे। हालांकि दोनों साक्षी यह भी स्वीकार करते हैं कि किसी भी दस्तावेज पर पढकर ही हस्ताक्षर करने चाहिए। किन्तु उन्होंने आरोपीगण को बचाने के लिये झूठा बयान देने से इन्कार किया है।
11. इस तरह से प्र0पी0-5 व 6 पर पंच साक्षियों के मात्र हस्ताक्षर स्वीकार करते हैं किन्तु गिरफ्तारी की पुष्टि वे नहीं करते हैं। इस प्रकार से अ0सा0-1 व अ0सा0-4 के द्वारा अभियोजन के बताये गये घटनाक्रम का कोई भी समर्थन नहीं किया है और इसके अलावा प्रकरण में केवल घटना के जांच कर्ता एवं विवेचक व एफआईआर कर्ता उपनिरीक्षक के0पी0 शर्मा अ0सा0-5 का ही और कथन हुआ है इसलिये उसके अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण व मूल्यांकन करना होगा।
12. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि घटना का किसी भी स्वतंत्र साक्षी से कोई समर्थन नहीं है और आरोपी वीरसिंह के अधिवक्ता का यह कहना है कि पुलिस द्वारा वीरसिंह को दिनांक 23.01.13 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था जिसका जमानत का आवेदन पत्र लाये जाने पर पुलिस ने दिनांक 05.01.13 को इस आशय की कैफियत संबंधित जेएमएफसी न्यायालय में पेश की थी कि वीरसिंह की किसी अपराध में कोई आवश्यकता नहीं है जबकि उसे निरोध में रखा गया था। इस कारण उसका सर्चवारण्ट भी न्यायालय से जारी किया गया था जिसके संबंध में भी न्यायालय में गलत जानकारी दी गई थी और इस संबंध में समाचार पत्र में भी समाचार प्रकाशित हुआ था और पुलिस के विरुद्ध टीका-टिप्पणी की गई थी। इस कारण अपने कृत्य को छुपाने के लिये एवं खिन्न होकर झूठा मामला बनाया गया है। आरोपी लाखन के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि रोजनामचासान्हा में समय में ओव्हर राईटिंग है और एफआईआर में भी समय में ओव्हरराईटिंग है। तथा घटनास्थल का नजरीय नक्शा भी नहीं बनाया गया है जिससे

पूरी घटना संदिग्ध हो जाती है और आरोपीगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जावे। जबकि विशेष लोक अभियोजन का तर्क है कि मामला डकैती से संबंधित है एवं उसको संश्रय देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी डर के कारण कथन नहीं करते हैं इसलिये पुलिस साक्षियों पर विश्वास किया जाना चाहिए। और इस पर से दोषसिद्धि की जावे।

13. यह सही है कि पुलिस साक्षी को भी अन्य अभियोजन साक्षियों की तरह ही मूल्यांकन में लिये जाने का नियम है। यह सही है कि डकैती जैसे गंभीर मामले में हर परिस्थिति में स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। किन्तु पुलिस साक्षी के अभिसाक्ष्य पर ही यह पूरा मामला निर्भर हो तो ऐसे में पुलिस साक्षी की साक्ष्य प्रत्येक प्रकार के संदेहों से परे होना आवश्यक है। तब उस पर विश्वास किया जाकर दोषसिद्धि की जा सकती है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में शेष साक्षी उपनिरीक्षक के०पी० शर्मा अ०सा०—5 के साक्ष्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करना होगा।
14. अ०सा०—5 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 23.01.13 को वह थाना गोहद में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर से इस आशय की जानकारी मिली थी कि वीरसिंह और लाखनसिंह ने शीतला माता मंदिर पर शाम के करीब छः बजे फरार डकैत दिलीपसिंह व भूरे को दैनिक उपयोग का सामान बीड़ी, बिण्डल, माचिस आदि उपलब्ध कराये हैं जिस रिपोर्ट को रोजनामचासान्हा में टी०आई० साहब के निर्देशानुसार दर्ज कर जांच व तश्दीक उसके द्वारा की गई थी। जो रोजनामचासान्हा प्र०पी०—7 है। जांच के दौरान वह दिनांक 24.01.13 को शीतला माता मंदिर पर गया था और वहाँ उसने मुकेश गिरि व गणेश गिरि के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे जिन्होंने घटना तश्दीक की थी। तथा उसने आसपास की तश्दीक की थी। जिस पर से मुखबिर की सूचना सही पाई गई थी। तत्पश्चात उसने उक्त दोनों साक्षियों के पुलिस कथन भी लिये थे। और थाना वापिसी में आकर प्र०पी०—8 की वापिसी रोजनामचासान्हा में दर्ज की थी। तथा आरोपीगण के विरुद्ध अप०क०—21/13 धारा—212, 216 भादवि एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत प्र०पी०—9 की एफआईआर दर्ज कर कायमी करते हुए विवेचना की थी। और साक्षियों के कथन उकने बताये अनुसार लिखे थे। तथा अगले दिन 25.01.13 को आरोपी वीरसिंह व लाखनसिंह को प्र०पी०—5 व 6 के गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया गया। तथा विवेचना पूर्ण कर चालानी कार्यवाही की गई थी।
15. इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र०पी०—7 में समय पर ओव्हर राईटिंग है। लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि नौ बजे को आठ बजे किया गया है। यह भी स्वीकार किया है कि मुखबिर की सूचना उसे दिनांक 24.01.13 को सुबह करीब 8—9 बजे मिली थी। फिर उसने उसी दिन खानगी सुबह नौ बजे रोजनामचासान्हा में डाली

थी। यह भी स्वीकार किया है कि घटनास्थल का उसने कोई नजरी नक्शा नहीं बनाया था। इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी वीरसिंह को दिनांक 03.01.13 को ही गिरफ्तार कर लिया था जिसके जमानत आवेदन पर दिनांक 05.01.13 को जेएमएफसी गोहद के न्यायालय में इस आशय की कैफियत प्रस्तुत की गई थी कि वीरसिंह की किसी अपराध में आवश्यकता नहीं है। इस बारे में वह जानकारी होने से इन्कार करता है। इस बात से भी इन्कार करता है कि राजनैतिक दबाव के चलते झूठा मामला बना दिया था। सर्च वारण्ट की भी उसने कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। थाने पर पूरी कार्यवाही करने से भी वह इन्कार करता है।

16. अभिलेख पर जो प्र0पी0-7 व 8 के रोजनामचासान्हा की नकलें पेश की हैं उनमें प्र0पी0-7 मुखबिर की सूचना का रोजनामचासान्हा है। सूचना की तश्दीक के लिये रवानगी वापिसी का नहीं है। उपनिरीक्षक के0पी0 शर्मा सुबह नौ बजे रवानगी डालकर मौके पर जांच के लिये जाना कहता है। उससे संबंधित रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया गया है कि वह अकेला गया था या उसके साथ और कोई भी गया था। प्र0पी0-7 के अंकित समय के अंक आठ में ओव्हर राईटिंग है और खुली आंखों से देखने पर ऐसा स्पष्ट होता है कि पहले अंक नौ बनाया गया और फिर उसे ओव्हर राईट करके अंक आठ बनाया गया है। प्र0पी0-9 की एफआईआर में थाने पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 24.01.13 लिखा गया है और समय में ओव्हर राईटिंग है। समय में 14.30 बजे में अंक चार पर ओव्हर राईट करके उसे दो किया गया है जिसका कोई स्पष्टीकरण वह नहीं देता है। रवानगी का रोजनामचा क्यों पेश नहीं किया गया है इसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है तथा जिन साक्षियों के आधार पर अ0सा0-5 अपनी जांच करना और मुखबिर की सूचना सत्य पाना कहता है। उसका किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है।
17. अभिलेख पर प्र0पी0-1 व 3 जांच कथन हैं किन्तु जांच पश्चात जांच का कोई प्रतिवेदन तैयार किया जाना नहीं बताया है। इससे अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीय होना नहीं माना जा सकता है।
18. अभिलेख पर कथानक मुताबिक भूरा उर्फ भूरे उर्फ वीरेन्द्रसिंह गुर्जर पुत्र जबरसिंह गुर्जर निवासी आलौरी को फरार इनामी होना बताया है। जिसे आरोपीगण के द्वारा इन्कार किया गया है। किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज या प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे भूरा उर्फ भूरे उर्फ वीरेन्द्र गुर्जर का घटना के पूर्व उसे फरार इनामी बदमाश घोषित किया गया या नहीं तथा कोई इनाम उस पर रखा गया या नहीं। इससे संबंधित दस्तावेज पेश किये जाने चाहिए थे। हालांकि इस बात का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि दिनांक 23.01.13 को राजस्व जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एकट प्रभावशील था क्योंकि उक्त अधिनियम दिनांक 20.01.2000 से लागू हुआ

है। इसलिये घटना दिनांक को डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया घटनास्थल आता था। लेकिन आरोपीगण के द्वारा किसी अपराधी को या किसी डकैत को गिरफ्तारी से बचाने के आशय से दिया गया या उसे दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराते हुए पुलिस की आमद रफत की जानकारी दी गई हो, इस बारे में भी सुदृढ व विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है इसलिये अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि आधारित नहीं की जा सकती है।

19. अतः युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 23.01.13 को एवं उसके पूर्व आरोपीगण ने किसी फरारी इनामी डकैत भूरा उर्फ भूरे उर्फ वीरेन्द्रसिंह या किसी अन्य अपराधी या डकैत को कोई गिरफ्तारी से बचाने के लिये आश्रय दिया हो या दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराते हुए पुलिस की आमद रफत की सूचना दी हो। शीतला माता के मंदिर पर यदि आश्रय देने की बात की पुष्टि होती तो उन्हें पुजारी को भी अभियोजित करना चाहिए था। जबकि ऐसा कथानक में नहीं है। इसलिये आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाकर धारा 212 भा0द0वि0 एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पीके0 एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
20. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
21. प्रकरण में निराकरण के लिये कोई संपत्ति जप्त नहीं है।
22. निर्णय प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 10 अगस्त 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश (डकैती)  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश (डकैती)  
गोहद जिला भिण्ड